न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 34 / 25 दायर दिनांक: 23.12.2025

जीसीएमएस नं. 2025 / 556

उनवान

1 लोकेन्द कुमार पुत्र बाबू लाल जाति प्रजापत नि. खेडली तह. कठूमर जिला अलवर राज.।

——प्रार्थी

बनाम

1 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी कराये जाने
अन्तर्गत धारा 128,131 आर.टी.ए. 1956

अधिवक्ता:—

1 श्री चन्द्रशेखर तिवारी ——प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार ——अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 21.01.2026

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 380 रकबा 0.35 हैक्टे. वाके ग्राम बाछरैन तह. भुसावर में स्थित है। जिसके सम्पूर्ण हिस्से का प्रार्थी खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। प्रार्थी की उक्त आराजी से अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध व सरोकार किसी भी प्रकार का नहीं है और प्रार्थी अपनी उक्त सम्पूर्ण आराजी पर काबिज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजी का तहसीलदार, भुसावर के आदेशानुसार दिनांक 17.10.2025 हल्का पटवारी बाछरैन व भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा सीमाज्ञान किया था। सीमाज्ञान करने के बाद प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी नहीं की थी, जिससे प्रार्थी की आराजी की सीमायें असुरक्षित है।

प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 17.10.2025 के आधार पर प्रार्थी की आ.ख.नं. 380 रकबा 0.35 हैक्टे. वाके ग्राम बाछरैन तह. भुसावर की पत्थरगढी कराये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक कराई गई। नोटिस की ताईद में तहसीलदार, भुसावर ने अपने जवाब में अवगत कराया कि वाके ग्राम बाछरैन के आ.ख.नं. 380 रकबा 0.35 हैक्टे. पर लोकेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल जाति प्रजापत नि. खेरली दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नंबर का सीमाज्ञान दिनांक 17.10.2025 को गठित राजस्व टीम द्वारा किया गया एवं निशानात लगाये गये।

हमने बहस पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली में प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 17.10.2025 का अवलोकन किया गया। मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट मौके पर मुताबिक नक्शा शीट ख. नं. 290 रकबा 0.01 गै.मु. चाह, ख.नं. 916 रकबा 0.01 गै.मु. बोरिंग व ख.नं. 917 रकबा 0.01 गै.मु. चाह मुस्तकिल बिन्दु कायम किये। मुस्तकिल बिन्दुओं से जरीब चलाकर ख.नं. 380 के निशानात कायम कर उपस्थित व्यक्तियों को चिन्ह (सीमा) बताये गये।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 17.10.2025 तथा तहसीलदार, भुसावर के जवाब का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 131 एल.आर.ए. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि आ.ख.नं. 380 रकबा 0.0.35 हैक्टे. वाके ग्राम बाछरैन तह. भुसावर की भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

पूर्व दिनांक 17.10.2025 को निर्धारित सीमा चिन्ह के अनुसार पत्थरगढी कर मुकाम कायम किये जावे। साथ ही तहसीलदार, भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि वक्त पत्थरगढ़ी स्वयं मौके पर उपस्थित रहें। यदि पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो, तो नियमानुसार सक्षम अधिकारी से पुलिस इमदाद अपने स्तर से प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०